The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Alagesan): (a) Yes, from Machada to Digha via Tamluk and Contai.

(b) By the State Government.

## दूसरी पंचवर्णात्र चौजना में रंसर्व लाइनें

१९१८. भी पी० एका० बाक पास : क्या रंखने मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में नई रंल की लाइनों के खोलने के लिये अभी तक किन किन राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं ?

रंसचे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अक्रगेशन): द्सरी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनें बनाने के सम्बन्ध में अब तक इन राज्यों से सुभाव आये हैं: :--

- (१) आन्ध् को छोइकर 'क' और 'ख' भाग के सभी शज्य।
- (२) विलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर को छोड़कर 'ग' भाग के सभी राज्य ।

## नकली प्वाइयां

१९२०. श्री ए० आरू संबल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करोंगी कि :

(क) दंश में घटिया किस्म की ऑर नकली दवाइयां बनाने वाले एंसे कितने निर्माताओं को अभी तक दवाओं के निर्माण के उद्योग के संचालन की जांच पहताल करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई भेषजीय जांच समिति द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप, अर्थ-इण्ड अथवा कारावास दण्ड-दिया गया , और

(हा) क्या एंसे उपायों के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ हैं ?

स्वास्थ्य उपांची (श्रीमधी त्राम्मसीलर): (क)
The Drugs (Amendment) Act, 1955
के अधीन, बाँबा कि Pharmaceutical EnquiTy Committee ने सिफारिश की हैं, नकली

अगेर घटिया किस्म की दवाएं तैयार करने वालों को सस्त सजा दी जाती हैं। पार्लियामेन्द्र ने हाल में ही यह एंक्ट पास किया हैं और १४ अमेंल, १६४४ से लाग् हुआ हैं। भारत सरकार के पास कोई स्चना नहीं मिली हैं जिससे माल्म हो कि विभिन्न राज्यों में वैसी दवा तैयार करने वाले की इस एंक्ट के अधीन जुर्माना या जेल की सजा मिली हैं।

(स) इतनी जल्दी एंक्ट के पीरणाम के बार में पता लगाना सम्भव नहीं।

## CONTRIBUTORY HEALTH SERVICE SCHEME

1121. Shrimati Maydeo:. Will the Minister of Health be pleased to state the amount recovered from Central Government employees by way of contribution towards the Contributory Health Service Scheme during 1954-55?

The Deputy Minister of Health (Shrimati Chandrasekhar): Figures for the period mentioned are not yet available.

## INDIAN AIRLINES CORPORATION

1122. Shri T. B. Vittal Rao: Will the Minister of Communications be pleased to state whether it is a fact that the Conduct Rules framed by the Indian Airlines Corporation do not conform to the provisions laid down in the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, which is applicable to the Corporation?

The Deputy Minister of Communications (Shri Raj Bahadur): Under Sub-Section (2) of Section 3 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 the Rules framed in respect of a Concern should conform, as far as practicable, to the Model Rules given in the above Act. The Conduct Rules framed by the Indian Airlines Corporation are mostly on the lines of the Model Rules. Necessary action for getting Rules certified under the above Act has also been taken by the Corporation.